

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3011
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

कर्नाटक में सौर पार्कों का विकास

3011. श्री पी. सी. मोहन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सौर पार्क विकास योजना के अंतर्गत सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की वर्तमान और विशेषकर कर्नाटक सहित राज्य-वार स्थिति क्या है;
- (ख) वृहत पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता दी गई है;
- (ग) इन परियोजनाओं के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी, भूमि उपलब्धता और कार्यान्वयन में सहजता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (घ) क्या सरकार का भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में नियामक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई नीतियों पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" योजना के अंतर्गत कर्नाटक सहित 13 राज्यों में 55 सौर पार्कों को स्वीकृति दी है। इन पार्कों का विवरण अनुलग्नक-Ⅰ में दिया गया है।
- (ख) सरकार, देश में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। प्रोत्साहनों का विवरण अनुलग्नक-Ⅱ में दिया गया है।
- (ग) "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना, देश में बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए भूमि और ग्रिड-कनेक्टिविटी की उपलब्धता को सुगम बनाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी को सुगम बनाने के लिए कर्नाटक सहित दस अक्षय ऊर्जा समृद्ध राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना का कार्यान्वयन कर रही है।
- (घ) सरकार, राज्य सरकारों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि को चिह्नित करने का अनुरोध करती रही है। भूमि संबंधी मुद्दों को राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जाता है। दिनांक 14.06.2024 को जारी मुआवजे के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में ट्रांसमिशन लाइनों हेतु मार्ग के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप किया गया।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए कई नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप भी किए हैं। इनका विवरण अनुलग्नक-Ⅲ में दिया गया है।

अनुलग्नक-।

‘कर्नाटक में सौर पार्कों का विकास’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3011 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

“सौर पार्कों और अल्टा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास” योजना के अंतर्गत स्वीकृत सौर पार्कों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)	स्थापित परियोजनाएं (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमु सौर पार्क	1400	1400
2.		कुरनूल सौर पार्क	1000	1000
3.		कडप्पा सौर पार्क	1000	387
4.		अनंतपुरमु-II सौर पार्क	500	400
5.		रामगिरी सौर पार्क	300	0
6.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव सौर पार्क	100	100
7.	गुजरात	राधनेसदा सौर पार्क	700	700
8.		धोलेरा सौर पार्क	1000	300
9.		एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा पार्क	4750	0
10.		जीएसईसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क	3325	0
11.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-I	600	0
12.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-II	1200	0
13.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-III	575	0
14.	हिमाचल प्रदेश	पेखुबेला सौर पार्क	53	0
15.	झारखण्ड	सेकी फ्लोटिंग सौर पार्क	100	0
16.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-I	755	0
17.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-II	234	0
18.	कर्नाटक	पावागडा सौर पार्क	2000	2000
19.		बीदर सौर पार्क	500	0
20.	केरल	कासरगोड सौर पार्क	105	105
21.		फ्लोटिंग सौर पार्क	50	0
22.		कासरगोड सौर पार्क चरण-II	100	0
23.	मध्य प्रदेश	रीवा सौर पार्क	750	750
24.		मंदसौर सौर पार्क	250	250
25.		नीमच सौर पार्क	500	330
26.		आगर सौर पार्क	550	550
27.		शाजापुर सौर पार्क	450	155
28.		ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क	600	278

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	स्थीकृत क्षमता (मेगावाट)	स्थापित परियोजनाएं (मेगावाट)
29.		बरेठी सौर पार्क	630	0
30.		मुरैना पार्क	600	0
31.	महाराष्ट्र	साई गुरु सौर पार्क	500	0
32.		दौंडेचा सौर पार्क	250	0
33.		पटोदा सौर पार्क	250	0
34.		एराई फ्लोटिंग सौर पार्क	105	0
35.	मिजोरम	वंकल सौर पार्क	20	20
36.	ओडिशा	एनएचपीसी द्वारा सौर पार्क	40	0
37.	राजस्थान	भाडला-II सौर पार्क	680	680
38.		भाडला-III सौर पार्क	1000	1000
39.		भाडला-IV सौर पार्क	500	500
40.		फलोदी-पोखरण सौर पार्क	750	450
41.		फतेहगढ़ फेज-1बी सौर पार्क	421	421
42.		नोख सौर पार्क	925	190
43.		पुगल सौर पार्क चरण-I	1000	0
44.		पुगल सौर पार्क चरण-II	1000	0
45.		आरवीयूएन सौर पार्क	2000	0
46.		बोदाना सौर पार्क	2000	0
47.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में सौर पार्क	365	365
48.		जालौन सौर पार्क	1200	0
49.		मिर्जापुर सौर पार्क	100	0
50.		कलपी सौर पार्क	65	65
51.		ललितपुर सौर पार्क	600	0
52.		झांसी सौर पार्क	600	0
53.		चित्रकूट सौर पार्क	800	0
54.		कानपुर देहात पार्क	75	0
55.		कानपुर नगर पार्क	35	0

‘कर्नाटक में सौर पार्कों का विकास’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3011 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II।

देश में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों का विवरण

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
(i) सौर पार्क योजना	(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। (ख) अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
(ii) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)	(क) जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) (ख) जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)
(iii) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (क) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा; (ख) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टैपरेचर कोएफिशियेंट)); और (ग) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।
(iv) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
(v) पीएम-कुसुम योजना	घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।
(vi) पवन ऊर्जा	पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपलब्ध लाभ निम्नलिखित है:- (क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19 जून 2024 को 7453 करोड़ के कुल परिव्यय पर 'अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना' को अनुमोदित किया है, जिसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6853 करोड़ का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो पत्तनों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ का अनुदान शामिल है।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<p>(ख) दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले चालू पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान किया जा रहा है।</p> <p>(ग) विंड इलेक्ट्रिक जनरेटरों के उपकरणों के विनिर्माण के लिए कुछ वस्तुओं पर रियायती सीमा-शुल्क में छूट।</p>
(vii) बायोमास कार्यक्रम	<p>(क) ब्रिकेट निर्माण संयंत्र के लिए: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) गैर-खोई (बगास) सह-उत्पादन परियोजना के लिए: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ग) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 से पहले प्राप्त हो गए हों: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(घ) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 को या उसके बाद प्राप्त हुए हों:</p> <ol style="list-style-type: none"> गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूँजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना) टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूँजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना)
(viii) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	<p>(क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ट बायोगैस उत्पादन: (अधिकतम सीएफए - 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <ol style="list-style-type: none"> नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन <p>(ग) बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन: (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <ol style="list-style-type: none"> नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट <p>(घ) जैव एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(इ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर:</p> <ol style="list-style-type: none"> विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्लूल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल समतुल्य

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	<p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्ष्मीपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी। गौशाला द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों/साइदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्र, मानक सीएफए पैटर्न से 20% से अधिक सीएफए के लिए पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए।
(ix) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	<ul style="list-style-type: none"> इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए साइट कार्यक्रम के अंतर्गत 4,440 करोड़ रु. का आवंटन है। प्रोत्साहन की राशि प्रथम वर्ष में 4,440 रु. प्रति किलोवाट से शुरू होती है और पांचवें वर्ष में 1,480 रु. प्रति किलोवाट पर समाप्त होती है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए साइट कार्यक्रम हेतु 13,050 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 50 रु./कि.ग्रा., 40 रु./कि.ग्रा. और 30 रु./कि.ग्रा. निर्धारित की गई है। ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए, उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि 8.82 रुपए प्रति कि.ग्रा., उत्पादन एवं आपूर्ति के दूसरे वर्ष में 7.06 रुपए प्रति कि.ग्रा., तथा उत्पादन एवं आपूर्ति के तीसरे वर्ष में 5.30 रुपए प्रति कि.ग्रा. है। वित्त वर्ष 2025-26 तक परिवहन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 496 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2025-26 तक नौवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 115 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 455 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन हब का परिव्यय 200 करोड़ रु. है। वर्ष 2025-26 तक मिशन के आर एंड डी कार्यक्रम का बजट 400 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2029-30 तक मिशन के कौशल विकास घटक का परिव्यय 35 करोड़ रु. है। वर्ष 2025-26 तक मिशन के परीक्षण घटक का परिव्यय 200 करोड़ रु. है। वर्ष 2025-26 तक ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए नई एवं उन्नत तकनीकों और अनुप्रयोगों का परिव्यय 200 करोड़ रु. है।

‘कर्नाटक में सौर पार्कों का विकास’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3011 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III।

अक्षय ऊर्जा विस्तार में विनियामक चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों का विवरण

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन दिनांक 22.02.2024 को जारी कर दिया गया है, जिससे रूफटॉप प्रणालियों की स्थापना सुविधाजनक होते हुए आसान और तेज होगी।
- इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम दिनांक 07.06.2022 को जारी किए गए हैं।
- समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) की शुरुआत की गई है, जिसके ज़रिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से समान प्रकार की आवंटित व्यक्तिगत आरई परियोजना के टैरिफ का औसत निकालकर उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी, 2024 से “सौर विद्युत केन्द्रीय पूल” और “सौर-पवन हाइब्रिड केन्द्रीय पूल” के लिए यूआरईटी के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।
- डिस्कॉम द्वारा बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम), 2022 और इसके संशोधन (नवीनतम 28.02.2024 को अधिसूचित) जारी किए गए हैं।
